

प्रेषक

निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष।
2. हरियाणा राज्य में सभी आयुक्त एवं उपायुक्त।
3. हरियाणा राज्य में सभी निगमों/बोर्डों के प्रबन्धक निदेशक/मुख्य प्रशासक।

यादी क्रमांक टीए-हर (4टी,1टी,18टी)2023/

दिनांक:-

विषय: मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की हिदायतें दिनांक 11.07.2023 के अनुसार पदोन्नति में 3 प्रतिशत व 4 प्रतिशत दिव्यांगता का लाभ प्रदान करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में आपको लिखा जाता है कि आपके अधीन कार्यरत व सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारियों, लेखा अधिकारियों, वरिष्ठ लेखा अधिकारियों व मुख्य लेखा अधिकारियों से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की हिदायतें दिनांक 11.07.2023 के अनुसार आवेदन प्राप्त करते हुए उनके क्लेम पूर्ण दस्तावेजों सहित जैसा कि मैडीकल प्रमाण पत्र, Unique Disability Identification Card, मैडीकल प्रमाण पत्र मैडीकल बोर्ड में कम से एक डाक्टर सम्बन्धित दिव्यांगता से सम्बन्धित विशेषज्ञ जिसमें 3 डाक्टर के साईन/नाम, स्टाम्प व एम0 सी0 आई0 न0 लिखा हो इस विभाग में दिनांक 01.09.2023 तक भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि नियमानुसार मामले में कार्यवाही की जा सके। निर्धारित अवधि दिनांक 01.09.2023 के बाद किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा इसके लिये आपका विभाग व स्वयं लाभार्थी जिम्मेवार होगा क्योंकि रोस्टर रजिस्टर में बार-बार संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है।

संयुक्त निदेशक

कृते निदेशक खजाना तथा लेखा विभाग
हरियाणा चण्डीगढ़।

पृ0 क्रमांक टीए-हर(4टी,1टी,18टी) 2023/

दिनांक:-

इसकी एक प्रति सभी नोडल अधिकारियों (एस0ए0एस0 काडर) क्षेत्रीय कार्यालय को भेजते हुए लिखा जाता है कि अपने-अपने जिला में कार्यरत व सेवा निवृत्त अनुभाग अधिकारियों/लेखा अधिकारियों/वरिष्ठ लेखा अधिकारियों/मुख्य लेखा अधिकारियों से आवेदन प्राप्त करते हुए दिनांक 01.09.2023 तक इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक

कृते निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग
हरियाणा चण्डीगढ़।

पृ0 क्रमांक टीए-हर(4टी,1टी,18टी)2023/

दिनांक:-

इसकी एक प्रति श्री सुनील बहल, प्रोग्रामर, खजाना तथा लेखा विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ कार्यरत एन.आई.सी., हरियाणा सिविल सचिवालय को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि इसे विभाग की साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक

कृते निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग
हरियाणा चण्डीगढ़।

Date of Deposition of handicapped certificate	UDI No. & Date	% of disability	Disability permanent or temporary	From which date he is eligible for grant of promotion in PwD quota as per seniority	Whether he has obtained conveyance allowance.	Remarks